सेवा में,

Date : 10/04/2023

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
New Delhi

विषय : Reply to report submitted to hon'ble court on dated 18/02/2023 by SPS bio chem and HSPCB on O.A 373/2022

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायलय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है । जिसमे माननीय न्यायलय के आदेश पर SPS Bio chem व HSPCB द्वारा इससे सम्बंधित Report दिनांक 18/02/2023 को कोर्ट मे पेश की गई है । मामले की अगली सुनवाई 18/04/2023 को निर्धारित की गई है । जिसके सम्बन्ध में, मैं अपना तर्क व कुछ तथ्य माननीय न्यायलय के सामने इस Letter के माध्यम से रखना चाहता हूं ।

Case No. : Status of SPS Bio chem pvt. Ltd.

मैं माननीय न्यालय को सूचित करना चाहता हूं कि M/s SPS Bio chem द्वारा फरवरी महीने की आखिरी सुनवाई के बाद से press mud का storage गाँव के दूसरे तरफ (जहाँ पर MSW नगर निगम द्वारा डाला जा रहा है) करना शुरू कर दिया है । ये हाल तब है जब मामला कोर्ट में है। बिना दस्तावेजों के प्लांट लग रहा है और एक बार Press mud उठाने के साथ साथ इनको Penalty भी लगाई जा चुकी है

मैं HSPCB से पूछना चाहता हूं कि आप लोगो ने poultry farm के लिए 500 mtr. का rule क्यो बनाया है जबकि उसमें तो daily 1 ton भी waste नही निकलता । और इस plant में daily 200 ton waste होगा। जिसमे poultry manure से भी ज्यादा गंदी बदबू होती है । साथ ही साथ मिथेन, H2S और C02 भी निकलेगी । मक्खी व मच्छर भी बहुत ज्यादा आएंगे । कैसे इस प्लांट को residential area के साथ लगाया जा रहा है । जिसकी दूरी 300-400 meter से भी कम है

क्यो अभी भी submitted report पर सभी अधिकारियो के signed नहीं है।

क्यों प्लांट को गाँव में लगाने की permission दी गई । जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए । क्या कोई भी कही से भी waste उठायेगे और कही भी dump कर देगा। तो फिर सरकार industrial sector क्यो बनाती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आप ने मिलिभक्त करके प्लांट को लगाने दिया । जबकि closing order के दौरान भी प्लांट मे काम चलता रहा । यहां तक बिजली कटौती भी नहीं की गई।

आपने कैसे compensation की money को कम किया । जबकि Press mud, काफी समय तक वही थी।

अभी मैं कुछ पहलुओं को जो कि sps biochem ने अपने Report में दर्शाया है उन पर सच्चाई ब्यान करना चाहता हूं ताकि सच सामने आ सके।

SPS bio chem बोलता है कि वो बड़ी जिम्मेवारी से Gov. की SATAT policy के अन्र्तगत प्लांट लगा रहा है जबकि policy के अन्र्तगत गाँव को इसके बारे बे अवगत कराना व local panchayat की स्वीकर्ती लेना अनिवार्य है । जो कि इन्होने नही ली है। इस policy में साफ साफ सम्बंधित विभाग से permission लेने की detailed जानकारी लिखि गई है। तो white orange and red color category का तो सवाल ही नहीं बनता है।

Sps biochem बोलती है कि ये Liquid manure को भी पूरी तरह use करेगे । जबकि ऐसा सम्भव ही नहीं है । ये बताए कि कैसे इसे use करेगे । लाखो लिटर daily waste water को ना ही ज्यादा दिन store कर सकते हैं ना ही इसे पूरी तरह से mixing करने मे reuse कर सकते हैं । जबकि सच्चाई यह है कि ये थोड़े समय बाद इस water को बन्द trolley container में डाल डाल कर यहा वहा ही डालेगे । या liquid manure बोल कर किसानो को गुमराह करके उनकी land पर डाल आएंगे ।

ये सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि company white category में Show कर दे और गांव व अन्य department की permission लेने से बच जाए। जबकि white category नियम में भी लिखा है कि अन्तिम निर्णय Department का होगा। जबकि department ने इसे orange category में डाला है ।

यही गुमराह इन्होने अपने CTO के लिए जमा कराए दस्तावेजों मे किया है। इसमें इन्होने waste discharge को 534 KLD दिखाया है फिर इसमें से 415 KLD waste discharge ko reuse लिखा है। और liquid waste discharge 125 KLD दिखाया है फिर इसको Red category मे आने से बचाने के लिए इसे 95 KLD दिखा दिया लेकिन अब white category पाने के लिए इसे भी पूरी तरह reuse लिख दिया ।

यही नही , इन्होने दामला गांव से दूरी 600 mtr दिखाई है जबकि यह कम है। दूसरा गाँव दूधला तो इससे भी कम दूरी पर है ।

Sps bio chem बोलते हैं कि हजारो टन CO_2 बचाएंगे । लेकिन ये आकंड़ा पूरे देश मे CO_2 emissions कम करने का है। जो कि fossil fuel के बजाये CNG fuel के use से होगा। जबकि सच्चाई मे ये daily बहुत ज्यादा CO_2 हमारे गांव मे release करेगे । और यहा पहले से ही बहुत ज्यादा CO_2 emissions करने वाली industries मौजूद है।

जो sps bio chem licheate treatment के लिए concrete (सिमेटंड) area बता रहे हैं वो सिर्फ Plant के अंदर है जो कि पूरे साल के हिसाब से press mud को store नही कर सकता । जबकि इन्होंने पूरे साल का store करना है क्यो कि शुगर मिल 4-5 month ही चलती है ।

Sps bio chem बोल रहे है। कि foul smell को control करने के लिए Tarpaulin और Paddy straw का इस्तेमाल करेगे । साथ ही chemical का spray भी करेंगे । ऐसा करके smell रोकना संभव ही नहीं है । और ये पहले Tarpaulin का use plant मे पडी press mud पर करके देख चुके हैं । लेकिन smell तब भी आती थी। और इसके अलावा लाखो टन press mud जो कही दूसरी जगह पर store करेगे वहा तो ये क्या ही use करेगे। इसके अलावा Daily basis पर इतनी ज्यादा press mud 200tpd loading unloading होगी, उसकी smell को कैसे रोकेंगे । Transportation के दौरान भी जो material Truck से आएगा या जाएगा उसकी smell का क्या करेंगे । मै पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हवा मे chemical छोड सकते हैं । आपका storage area totally open है। मेरे और अन्य गांव वालो के खेत बिलकुल कम्पनी की boundary wall पर है। ये foul smell और chemical को मै सांस द्वारा अपने अंदर क्यो लू । क्योकि आप का material high foul smell intensity का है। आप हमारी साफ हवा व pleasant माहौल मे जीने कि आजादी नही छीन सकते। आप industry अपने profit के लिए चला रहे हैं मेरे या देश के लिए नही। क्यो नही आप totally paddy straw या गोबर का इस्तेमाल करते । क्योकि ऐसा करने पर operation cost बढ जाती है।

Sps bio chem लिखते हैं कि pressmud natural and non hazardous waste है। और environment को नुकसान नहीं पहुंचता । तो मै ये पूछना चाहता हूं कि फिर आपने environmental destroy compensation क्यो भरा है

हमे आपके काम करने से कोई समस्या नही है। आप काम किजिए, रोजगार दीजिए लेकिन rule regulations को follow करते हुए । Public health को ध्यान में रखते हुए । इसलिए यह plant residential area से काफी दूर लगाना चाहिए ।

इन्होने लिखा है। कि पहली बार inspection को security purposes की वजह से होने नही दिया गया। बिना id card के कोई नही आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि Government officers के साथ पूछताछ के दौरान ऐसा हो सकता है। तो आम जन के साथ ये क्या करेंगे । वो भी जब स्वय illegal काम कर रहे थे। ये तो सरकारी काम मे सीधी बाधा है । हालांकि इसका department ने कोई जवाब नहीं दिया ना कार्रवाही की । उल्टा हमे road जाम करने की बात कही गई । अभी से इनमें मिलिभक्त साफ दिखती है तो कौन आमजन की बात सुनेगा।

ये बोलते हैं कि हमने closing order के बाद कम्पनी बंद कर दी। Documents के हिसाब से 5 month प्लांट बंद रहा। जबकि मेरे पास video भी है। कि इनका काम लगातार चलता रहा । कितना झूठ बोलेंगें आप । प्लांट का काम एक दिन भी बंद नही हुआ। और press mud भी काफी समय बाद उठायी गई। कितनी बार अधिकारियो को मेरे द्वारा सूचित किया गया। पर कोई कार्रवाही नही हुई। इस दौरान दो बार मेरे से अधिकारियो ने सिर्फ satisfied signed लेने के लिए बात की। ताकि मामला दबा सके। लेकिन मैने दोनो बार मना कर दिया क्योकि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। ना press mud उठी थी। ना matter solve हुआ था। अगर मै दबाव मे Sign कर देता तो ये आज कोर्ट मे वही दिखाते की सब कार्यवाही ठीक से हुई थी।

Sps bio chem ने रिपोर्ट मे लिखा है कि press mud को किसान ऐसे ही खाद की तरह खेत में गिरा देते है। मै पूछना चाहता हूं कि कोई भी organic waste बिना decompose हुए कैसे खाद बन जाएगा। इसके लिए time लगाता है । अगर इसको ऐसे ही खेत में डाल देगे तो decomposing होने के दौरान फसल नष्ट हो जाएगी या नुकसान होगा।

मैं माननीय न्यायलय को सूचित करना चाहता हूं कि इस प्लांट के boundary wall के पास मेरे खुद 3 एकड जमीन लगती है । मेरे अलावा और भी कई आम जन की agriculture land है पास में ही residential area भी है। अगर यह प्लांट लगता है तो हमें health के साथ साथ wealth भी गवानी पडेगी । इस गंदी बदबू, मक्खी मच्छर , pollution मे ना तो हम वहां काम कर सकेंगे ना हमारी जमीन की कोई अहमियत रहेगी।

इस प्रकार अपनी बाते रखते हुए मै माननीय न्यायलय से **request** करता हूं कि उपरोक्त बातों व तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हमे न्याय दिलवाने की कृपया करे। और इस **waste to energy plant** पर **stay** लगाई जाए। ये गांव मे लगने वाला छोटा **plant** नही है । तभी इस बारे में आस पास के सभी गांवों की पंचायतें भी लिख कर दे चुकी है । क्योकि सभी पहले से ही **2 - 3 km radius** मे इस प्लांट की दुर्गंध सहन कर चुके हैं । सभी की मांग है कि ऐसे प्लांट को कही दूर लगाया जाना चाहिए , कम से कम **3-4 km** क़ी दूरी पर । साथ ही भ्रष्ट अधिकारियो पर कार्यवाही की जाए । साथ ही जो हमारी **health, time,** और मानसिक प्रताडना हुई है उसका मुवावजा दिलवाया जाए।

धन्यवाद,

याचिकाकर्ता,

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla
Yamunanagar-135001, Haryana
Ph. 9034103390